

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023, (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)
में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा-निर्देश:-

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 के अन्तर्गत योग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों से आयोग के पत्रांक-1702, दिनांक-05.08.2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादनोपरांत दिनांक-18.09.2024 से 28.09.2024 तक दो पालियों (प्रथम पाली 10:00AM-01:30PM एवं द्वितीय पाली 02:30PM-06:00PM) में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में सम्पन्न कराया गया है।

पदवार मेधासूची तैयार करने के क्रम में पाया गया कि कतिपय विज्ञापन/ग्रुप (विज्ञापन सं०-38/2023 (ग्रुप-01), 46/2023 (ग्रुप-09) एवं 47/2023 (ग्रुप-10)) में अंतिम मेधासूची का कट-ऑफ अंक विज्ञापन/ग्रुप के कट-ऑफ अंक से कम हो जा रहा है। उक्त विज्ञापनों के अन्तर्गत पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल-167 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

आयोग के पत्रांक-2027, दिनांक-11.09.2024 द्वारा व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु पूर्व में आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गयी है, जो लागू रहेगा।

उक्त क्रम में संबंधित विज्ञापनों के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-19.11.2024 को दो पालियों (प्रथम पाली 10:00AM-01:30PM एवं द्वितीय पाली 02:30PM-06:00PM) में दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य आयोग कार्यालय में निर्धारित किया गया है। विज्ञापनवार आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक-2027, दिनांक-11.09.2024 में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुरूप दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

- अनु०:- (i) आमंत्रित 167 (एक सौ सरसठ) अभ्यर्थियों की सूची एवं दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यक्रम।
(ii) आयोग के पत्रांक-2027, दिनांक-11.09.2024 की प्रति।

8m
12.11.2024
प्रभारी सचिव,

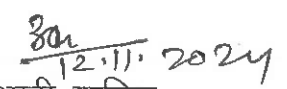
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना

Advt. No-38/2023 To 52/2023 (Group-1 To 15)

DATE	Advt. No-38/2023 To 52/2023 (Group-1 To 15)							
	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group
19-11-2024 1st Sitting (10:00 am - 1:30 pm)	1	DD000172	SANTOSH KUMAR	Group15	43	DD011008	PRATIMA KUMARI	Group15
	2	DD000186	PRABHAT KUMAR	Group1	44	DD011068	NAVIN CHANDRA RAJAN	Group1
	3	DD000272	PRIYAMVADA USHA	Group15	45	DD011232	SHIVANI SAXENA	Group15
	4	DD000316	ABHINAY VERMA	Group15	46	DD011297	SUNIL KUMAR	Group1
	5	DD000365	MOSARRAT PRAVEEN	Group15	47	DD011343	MANISH KUMAR	Group15
	6	DD002339	SAURAV KUMAR	Group15	48	DD011519	NITESH KUMAR	Group1
	7	DD002894	UDAY PRATAP SINGH	Group15	49	DD012040	KUMAR GAURAV	Group15
	8	DD003043	PRABHANSHU SHEKHAR	Group15	50	DD012121	ANAND VERMA	Group15
	9	DD003226	RAKESH KUMAR	Group15	51	DD012399	PALLAVI KUMARI	Group9
	10	DD003229	ABHA SINGH	Group15	52	DD012455	PUJA KUMARI	Group15
	11	DD004737	SANJEET KUMAR	Group15	53	DD012692	PRIYANKA KUMARI	Group15
	12	DD004963	BALMIKI KUMAR	Group15	54	DD012736	DHARMENDRA KUMAR KUSHWAHA	Group15
	13	DD005039	ABHIRAJ KUMAR	Group15	55	DD013012	ARCHANA KUMARI	Group15
	14	DD006409	SUHAVANI KUMARI	Group15	56	DD013187	KAMAL NAYAN	Group15
	15	DD006413	KUMARI DIPSHIKHA	Group10	57	DD013525	RISHI KUMAR RAUSHAN	Group15
	16	DD006647	UTTAM KUMAR	Group9	58	DD013683	SWAPAN KUMAR RAI	Group15
	17	DD007087	SHASHI KUMAR	Group15	59	DD013700	AMBIKESH KUMAR	Group15
	18	DD007186	SANTOSH KUMAR	Group15	60	DD013760	ANURADHA SRIVASTAVA	Group10,Group15
	19	DD007295	ANJALI RAI	Group15	61	DD013893	AJAY KUMAR	Group15
	20	DD007772	KUMAR ABHINAV	Group15	62	DD013936	SANJEEV KUMAR	Group15
	21	DD007989	SUMAN KUMARI	Group15	63	DD013970	MANISH SHARMA	Group9
	22	DD008015	BAL MUKUND MISHRA	Group15	64	DD014149	DIKSHA KUMARI	Group9,Group15
	23	DD008227	BANTI KUMAR	Group15	65	DD014263	HITESH DWIVEDI	Group1
	24	DD008437	RAVI RANJAN KUMAR	Group15	66	DD014455	PANKAJ KUMAR	Group15
	25	DD008463	GAJENDRA PRATAP SINGH	Group15	67	DD014463	PRADEEP KUMAR	Group15
	26	DD008845	KUMAR GAURAV	Group1,Group15	68	DD014488	SWARNA PARIJAT	Group15
	27	DD008962	RAHUL KUMAR	Group15	69	DD015167	RAMBHOO KUMAR	Group1
	28	DD008978	DHARMENDRA KUMAR	Group15	70	DD015185	SUPRIYA RANI	Group15
	29	DD009002	VIKASH KUMAR	Group15	71	DD015433	SALMAN KHAN	Group1
	30	DD009150	AMIT KUMAR	Group1	72	DD015523	DEV RAJ	Group15
	31	DD009432	SHAKTI KUMAR	Group1	73	DD015641	RAKESH PRAMANIK	Group15
	32	DD009504	MD RAMZAN ALI	Group15	74	DD015855	NEHA KUMARI	Group15
	33	DD009573	KM SUNITA	Group15	75	DD016079	SONY MAHTO	Group10
	34	DD009943	ANIT KUMAR	Group15	76	DD016080	MD AJAZ ALAM	Group15
	35	DD010110	VISHAL KUMAR	Group15	77	DD016437	SANJIV KUMAR	Group15
	36	DD010173	SONU KUMAR	Group15	78	DD016814	POOJA SINGH	Group15
	37	DD010351	SACHIN KUMAR	Group15	79	DD016827	PIYUSH PANDEY	Group15
	38	DD010659	STALIN KUMAR	Group15	80	DD017202	PRAVEEN KUMAR	Group1
	39	DD010727	DIVYA JHA	Group15	81	DD017251	SONU KUMAR	Group1
	40	DD010733	TUSHAR KANT	Group15	82	DD017489	DEVINDER THAKUR	Group1,Group15
	41	DD010832	MD AFTAB ALAM	Group15	83	DD017584	MD FARHAN	Group15
	42	DD011003	DILIP KUMAR SINGH	Group15	84	DD017885	NITISH KUMAR KARNA	Group15

DATE	Advt. No-38/2023 To 52/2023 (Group-1 To 15)							
	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group
19-11-2024 2nd Sitting (2:30 pm - 6:00 pm)	1	DD017895	MAHESH RANJAN	Group15	43	DD021902	KUNAL KUMAR	Group1
	2	DD017922	ABHISHEK KUMAR	Group1	44	DD022128	NITISH KUMAR YADAV	Group9,Group15
	3	DD017960	MANISH KUMAR	Group1	45	DD022188	KM KRITIKA MISHRA	Group15
	4	DD017961	SANTOSH KUMAR	Group15	46	DD022261	PRABHASH CHANDRA KUMAR	Group1
	5	DD018028	VIVEK KUMAR	Group15	47	DD022514	SAPANA KUMARI	Group15
	6	DD018171	ABHISHEK KUMAR	Group1	48	DD022708	JAG SWAMI KANT	Group15
	7	DD018213	AJIT KUMAR	Group9	49	DD022716	CHITRANJAN KUMAR	Group15
	8	DD018373	MUKESH KUMAR	Group15	50	DD022868	RAJEEV RAJ CHAUDHARY	Group15
	9	DD018377	ANURAG SAVARN	Group15	51	DD023283	CHETAN KUMAR SAH	Group1
	10	DD018426	RANJA KUMAR	Group15	52	DD023322	RITESH KUMAR SINGH	Group15
	11	DD018511	PINTU KUMAR PANDIT	Group9	53	DD023462	KUMAR DIPENDRA SINGH	Group1
	12	DD018523	NITESH KUMAR SINGH	Group15	54	DD023481	AVANTIKA	Group15
	13	DD018658	DILEEP KUMAR	Group15	55	DD023556	ABHIMANYU SINGH	Group15
	14	DD018730	KUNDAN KUMAR	Group15	56	DD023706	SAURABH SUMAN	Group1
	15	DD018751	NUPUR UPADHYAY	Group15	57	DD023833	SUMAN KUMAR	Group15
	16	DD018783	CHANDRAHAS KUMAR	Group15	58	DD023881	KUNAL KUMAR	Group15
	17	DD018789	SHIVNANDAN BIND	Group15	59	DD023949	ANKITA SINHA	Group15
	18	DD018833	AVANI KANT KUMAR	Group15	60	DD024054	ATUL KUMAR	Group15
	19	DD018853	ABHIJEET KUMAR	Group15	61	DD024221	SURYA BERA	Group1
	20	DD018904	DILEEP KUMAR CHOUDHARY	Group15	62	DD024297	DIVYA KUMARI	Group15
	21	DD018990	SUJATI KUMARI	Group15	63	DD024333	SUSHIL KUMAR	Group15
	22	DD019071	PREETI KUSHWAHA	Group10	64	DD024496	MANI BHUSHAN KUMAR	Group15
	23	DD019235	SURBHI SAUMYA	Group15	65	DD024575	KUMAR CHANDRA SHEKHAR CHANCHAL	Group1
	24	DD019487	GAURAV SINGH	Group15	66	DD024730	HASNAIN SHEKH	Group15
	25	DD019585	PRITAM KUMAR	Group9	67	DD024841	ANURAG CHAUDHARY	Group1
	26	DD019893	MD RASHID	Group15	68	DD024969	AJIT KUMAR	Group15
	27	DD019911	SANDEEP KUMAR	Group1	69	DD025334	SURYADEV KUMAR	Group15
	28	DD020092	BINOD KUMAR SINGH	Group15	70	DD025706	ADITYA RAJ	Group1
	29	DD020142	MUKESH KUMAR NAG	Group15	71	DD025783	KM. JYOTI SINGH	Group15
	30	DD020400	BIKASH KUMAR	Group1	72	DD025967	AMAN KUMAR	Group1
	31	DD020612	SURAJ SHUKLA	Group15	73	DD026053	DEVAN KUMAR	Group15
	32	DD020763	KUMARI NIVEDITA	Group15	74	DD026477	GUDDU KUMAR	Group15
	33	DD020830	NIRAJ PRASAD RANJAN	Group15	75	DD026585	NAVIN KUMAR	Group15
	34	DD020943	SAHENDARA KUMAR	Group9,Group15	76	DD026649	SATYA PRAKASH SINGH	Group15
	35	DD021051	AWADHESH KUMAR MAURYA	Group15	77	DD026793	SUSHIL KUMAR	Group15
	36	DD021189	AMIT KUMAR BHARTI	Group15	78	DD026832	LALAN KUMAR	Group15
	37	DD021198	MONI KUMARI	Group15	79	DD026852	RAJ KUMAR KUSHWAHA	Group1
	38	DD021202	NEELAM KUMARI	Group15	80	DD027394	ABHISHEK	Group1
	39	DD021516	KM RUPAM YADAV	Group15	81	DD027531	PRIYA	Group15
	40	DD021698	NOOR	Group15	82	DD027855	RENUKA KUTIYAL	Group10
	41	DD021758	MURLI MANOHAR	Group1	83	DD028117	SANGEETA KUMARI	Group10
	42	DD021884	KUNDAN KUMAR	Group15				


 प्रभारी सचिव
 बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023, (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में
आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा-निर्देश:-

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 के अन्तर्गतयोग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों से आयोग के पत्रांक-1702, दिनांक-05.08.2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादनोपरांत दिनांक-18.09.2024 से 28.09.2024 दो पालियों (प्रथम पाली 10:00AM-01:30PM एवं द्वितीय पाली 02:30PM-06:00PM) में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में संभावित है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची Application No. के अनुसार तिथिवार/पालीवार आयोग के Website पर प्रकाशित कर दिया गया है।

कतिपय अभ्यर्थियों के एक से अधिक विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु तैयार मेधासूची में होने के कारण वैसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य एक ही तिथि को कराये जाने हेतु सभी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) Application No. के अनुसार किया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् वैसे आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के Website:-www.btsc.bihar.gov.in अथवा <http://103.75.167.252/DEGREE/LOGIN.ASPX> पर जाकर अपना Application No., Registered Mobile No., जन्म तिथि डालने के पश्चात् Registered Mobile No. पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर Call Letter Download किया जा सकेगा।

विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत एक से अधिक पद होने एवं कतिपय अभ्यर्थियों के एक से अधिक विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत मेधासूची में होने के फलस्वरूप विज्ञापन के शर्तों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों से अंतिम चयन हेतु पदों के प्राथमिकता का विकल्प लिया जाना है। Call Letter generate करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम दस्तावेज सत्यापन के आमंत्रित विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत उपलब्ध सभी पदों प्राथमिकता के अनुसार घटते क्रम में विकल्प के रूप में चिन्हित करना अनिवार्य है। तदोपरांत, Call Letter विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र सहित generate किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को निदेश है कि पदों के विकल्प प्राथमिकता का चयन ध्यानपूर्वक करेंगे। पूर्ण रूप से भरे गए पदों के विकल्प प्राथमिकता को मात्र एक-बार ही परिवर्तित करने की अनुमति होगी। तदोपरांत, अंतिम रूप से भरे गए पदों के विकल्प प्राथमिकता में किसी बदलाव हेतु किसी प्रकार के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

Call Letter के बिना दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने Application No. के अनुसार दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति, आवेदन पत्र की Downloaded प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की दो(02) प्रति स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के दौरान निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों का मूल से सत्यापन कराया जाना है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	प्रमाण-पत्रों की विवरणी	प्रमाण-पत्रों का निर्गत होने का अन्तिम कट-ऑफ तिथि
1	मैट्रिक का प्रमाण-पत्र	—
2	निवास प्रमाण-पत्र	
3	फोटोयुक्त पहचान पत्र	
	शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र (i) विज्ञापनों के कंडिका-1(i) में वर्णित संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण-पत्र या 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण-पत्र।	18.10.2023 तक (केवल कंडिका-4(i) एवं 4(ii) हेतु)
4	(ii) उपर्युक्त कंडिका-1(i) में अंकित अर्हता के सभी वर्षों का उत्तीर्णता का अंक-पत्र। (iii) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा CGPA/OGPA/CPI आदि को प्रतिशत में बदलने का Formula (यदि लागू हो) (iv) अभ्यर्थी के शैक्षणिक सत्र में अभ्यर्थी के Stream/Branch में अभ्यर्थी के Course संचालन की AICTE से मान्यता का साक्ष्य	
5	CITS प्रमाण-पत्र (i) संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र। (ii) संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का अंक पत्र। नोट:- आवेदन में CITS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	
6	01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र। (साक्ष्य सहित, यदि लागू हो)	
7	आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र। नोट:- आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	(A) दिनांक-18.10.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 18.10.2023 तक (B) परन्तु, विज्ञापन सं०-47/2023 (ग्रुप-10) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक्स व्यवसाय अनुदेशक के पद अन्तर्गत अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-18.11.2023 से 25.11.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-25.11.2023 तक
8	कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर किये गये कार्य हेतु संबंधित पदस्थापन स्थल के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र। नोट:- आवेदन में संविदा पर कार्यरत होने के कार्यानुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	
9	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नोट:- आवेदन में दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	
10	स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र नोट:- आवेदन में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	

11	Online Form की प्रति	---
12	Online Form में Upload किये गए फोटोग्राफ की पाँच प्रति।	---
13	Computer Based Test के Admit Card का परीक्षा केन्द्र में Invigilator द्वारा हस्तारित Candidate Copy	---
14	Computer Based Test का Score Card	---
15	विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र	---

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिया जायेगा।
- विज्ञापन के कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया जायेगा।
- विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत कार्यावधि की गणना दिनांक-19.09.2023 तक की जायेगी।
- विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण-पत्र को अमान्य कर दिया जायेगा।
- विज्ञापन के कंडिका-1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण-पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य कर दिया जायेगा।
CITS के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय होगा। (उदाहरणार्थ :-विज्ञापन सं० 38/2023 गुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद हैं। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी CITS का अंक गुप-1 के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मेधासूची में CITS हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु CITS की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)
- विज्ञापन के कंडिका-3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को देय होगा।
संविदा आधारित कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है, इसी प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छुट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।
कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में कार्यानुभव प्राप्त है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय है। (उदाहरणार्थ :-विज्ञापन सं० 38/2023 गुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद हैं। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी कार्यानुभव का अंक गुप-1 के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मेधासूची में संविदा पर कार्यरत होने हेतु कार्यानुभव हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु कार्य अनुभव की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)
- विज्ञापन के कंडिका-3(ii)(d) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-19.09.2023 तक किया जायेगा।

10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-3(iii) के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया जायेगा।
11. यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
12. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-673, दिनांक-08.03.2011 एवं पत्रांक-704, दिनांक-10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
13. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि/पाली में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्रों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
16. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है।
17. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।
18. अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय-समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।


 11.9.2024
 प्रभारी सचिव,
 बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।